

3

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-93 / 2023-24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

चामु मुण्डा.....आवेदक / विक्रेता

परमेश्वर जेराई.....क्रेता

बनाम्

राज्य सरकार.....द्वितीय पक्ष

प्रथम पक्ष

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
12.02.2024	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती चामु मुण्डा पिता/पति स्व० मदिराय मुण्डा ग्राम-हातुदामी, पो०-हातुदामी, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के द्वारा ग्राम हातुदामी, थाना नं० 206, खाता नं० 19, रकबा 0.30 एकड़ भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन का किया गया है।</p> <p>उक्त भूमि के अनुमति हेतु कार्यालय पत्रांक 93/दिनांक 24.04.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, खूँटी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। जिसके आलोक में अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 01 दिनांक 02.01.2024 द्वारा प्रश्नगत भूमि का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जिसमें अंचल अधिकारी द्वारा प्रश्नगत भूमि में से मात्र 0.20 एकड़ भूमि का अनुशंसा की गयी है।</p> <p>पूर्व में आवेदक के द्वारा 30 डीसमील भूमि की विक्री के लिये आवेदन समर्पित किया गया था। लेकिन बाद में आवेदक के द्वारा संशोधित आवेदन समर्पित करते हुये 20 डीसमील भूमि की विक्री हेतु आवेदन समर्पित किया गया है। साथ ही आवेदक के द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र भी समर्पित किया गया है।</p> <p>उक्त लिखित आवेदन एवं शपथ पत्र के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक/आवेदिका द्वारा निम्नवत् भूमि का विक्री हेतु अनुमति की माँग करते हैं:-</p> <p style="text-align: center;">भूमि का विवरण</p> <table border="1"><thead><tr><th>ग्राम</th><th>थाना नं०</th><th>खाता नं०</th><th>खेसरा सं०</th><th>रकबा(एकड़ में)</th></tr></thead><tbody><tr><td>हातुदामी</td><td>206</td><td>19</td><td>643</td><td>0.20</td></tr></tbody></table> <p>आवेदक/आवेदिका के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती चामु मुण्डा पिता/पति स्व० मदिराय मुण्डा ग्राम-हातुदामी, पो०-हातुदामी, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को मकान निर्माण हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्री/श्रीमती परमेश्वर जेराई पिता/पति शिव शंकर जेराई ग्राम-बारुडीह, पो०-अनिगड़ा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को विक्री करना चाहते/चाहती है।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)	हातुदामी	206	19	643	0.20	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)								
हातुदामी	206	19	643	0.20								

आवेदक/आवेदिका अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं खतियान की छाया प्रति तथा लगान की रसीद सं० 0844536035 की छाया प्रति उनके द्वारा प्रस्तुत की गई। नोटिस का तागिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि में खिन्सी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 01 दिनांक 02.01.2024 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक/आवेदिका की खतियानी भूमि है। खतियानी रैयत का नाम झीरगा मुण्डा है। आवेदक पंजी II रैयतों में से एक के पुत्र है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग सं० 1 के पृष्ठ सं० 24 पर जगावंदी दर्ज है।

आवेदक/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान निर्माण कराने हेतु विक्री करना चाहते हैं।

अंचल अधिकारी, खूँटी के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं एवं एक ही थाना के निवासी हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 158 दिनांक 26.10.2023 के साथ अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं०- JHCST/2023/36165 दिनांक 27.02.2023 को आवासीय प्रमाण पत्र सं०- JHLRCO/2023/67241 दिनांक 24.02.2023 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना के निवासी हैं। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदित भूमि की विक्री हेतु अनुशंसा किया है।

अतः अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 01 दिनांक 02.01.2024 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती चामू मुण्डा पिता/पति स्व० मदिराय मुण्डा ग्राम-हातुदामी, पो०-हातुदामी, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को क्रेता श्री/श्रीमती परमेश्वर जेराई पिता/पति शिव शंकर जेराई ग्राम-बारूडीह, पो०-अनिगड़ा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के साथ ग्राम हातुदामी के खाता सं० 19 खेसरा संख्या 643, कुल रकबा 0.20 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।